राजस्थान-सरकार

राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

– अधिसूचनाः–

/2012

जाकर अमिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल तहसील डेगाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि अंकित मजरों, / ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के नीचे दी गई सारणी के कॉलम जिला नागौर की की धारा 16, क रूप मे

			<		<		8		डेगाना	(4)
-	315.56	3.0	386.52	415	रावतसर	702.08	805	खुडीखुर्द्।	नागौर/	1
	10	9.	8	7	6	51	4	3	2	
1	*.		, j.,	संख्या	Acceptance of the second secon		संख्या			
			क्षेत्रफल	प्रा		क्षेत्रफल	র্বা			
	书):				ž.					
•	(हैक्टर									
	क्षेत्रफल		क्टर में)	(8)						,
_	शेष रहा	파	त्रफल	28					99	
_	ग्राम का	मी०	जनसंख्या/	प्रन	का नाम	(हैक्टर में)	क्षेत्रफल	키 म		
	राजस्व	कि	ग्राम की	ᅺ	राजस्व ग्राम	की जनसंख्या/	की ज	ग्राम का	तहसील	ii.
-	% त	दूर	प्रस्तावित राजस्व	प्रस्ता	प्रस्तावित	मूल राजस्य ग्राम	मूल रा	मूल राजस्व	जिला/	好0社

जाता है। जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न कमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 अभिलेखों के कं अभिलेखो के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामो परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया